फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थीयां भगवतीबाई बनाम श्री शंभुसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा : विविध आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पत्रावली संख्या : 05/07

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>कार्यवाही विवरण</th><th>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई।</th></tr>
<tr><td></td><td>
दिनांक : 15.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दिनांक 27.04.2007 को लगातार बुखार आने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण मूल वाद सं. 147/06 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसे नम्बर पर लिया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। मूल वाद सं. 147/06 को तलब किया गया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में वादी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.04.2007 को मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2007 को प्रकरण नम्बर पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। जो अन्दर मयाद हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रार्थी स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने का कथन किया हैं। दिनांक 27.04.2007 को वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ हैं जिसके 13 दिन के बाद ही दिनांक 10.5.07 को प्रार्थना पत्र नम्बर पर लेने का प्रस्तुत कर दिया हैं। जिससे वादी के द्वारा कोई लापरवाही की गई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता हैं। वादी का स्वास्थ्य खराब होने से वादी के एवज में उपस्थिति देने का दायित्व उसके अधिवक्ता का था लेकिन अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहा। अधिवक्ता की भूल का खामियाजा वादी को दिया जाना उचित नहीं हैं। चूंकि प्रकरण में वादी के हित निहित होने से प्रकरण को नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्क है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सं. 147/06 वाद में दिनांक 27.04.2007 के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली
</td><td></td></tr>
</table>